

Peer Reviewed Journal for M. Phil., Ph.D. & Appointment of Teacher in Universities & College

ISSN : 2394-3580

VOLUME - 6 No. : 8 June - 2019

Swadeshi Research Foundation

A MONTHLY JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH



Indian Tech



Referred & Review Journal

Indexing & Impact Factor 4.2

Published by :

Swadeshi Research Foundation & Publication

Seva Path, 320 Sanjeevani Nagar,
Veer Sawarkar Ward, Garha, Jabalpur (M.P.) - 482003

मनरेगा : स्वच्छ पर्यावरण गांधीवादी विचारधारा

डॉ. रविदास अहिरवार

समाजशास्त्र एवं समाज कार्य विभाग, डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर (म.प्र.)

शोध सारांश :- पर्यावरण शब्द परि + आवरण के संयोग से बना है, जिसका आशय हमारे चारों ओर के जीव तथा निर्जीव वस्तुओं को शामिल किया जाता है। वास्तव में पर्यावरण में वायु जल, भूमि पेड़ पौधे, जीव-जन्तु मानव और उनकी गतिविधियों का परिणाम है।

वर्तमान समय में रोजगार के अवसर और पर्यावरण संरक्षण की समस्या को लेकर गम्भीर चिन्ता का विषय बना हुआ है। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नये आविष्कारों की स्पर्धा के कारण आज मानव प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहता है। यही कारण है की प्राकृतिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। वही दूसरी ओर धरती पर जनसंख्या भी निरन्तर बढ़ रही है औद्योगिकीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से जहाँ प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। पर्यावरण के इस विनाशकारी संकट में भारत सरकार की महात्वाकांक्षी योजना मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) पर्यावरण को सुदृढ़ और मजबूत करने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह कर रही है।

25 अगस्त 2005 को एक कानून के रूप में पारित इस अधिनियम अनेक ऐसी योजना और बातों को लागू किया गया है जिससे भारत की ग्रामीण जनता के साथ-साथ पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति में सुधार के अवसर दिखाई देते हैं। 02 फरवरी 2006 से लागू इस योजना में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए। ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक वर्ग के कृषकों को उनकी अपनी निजी भूमि पर वृक्षा रोपण जैसी योजना को शामिल करके उनकी रेखदेख एवं खाद्य-बीज की निशुल्क व्यवस्था और अनुदान शामिल किया गया है। जिससे अनेक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत तेजी से इस इस योजना के तहत वृक्षारोपण किया है। जिससे कहीं-न-कहीं पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति में सुधार नजर आता है।

पर्यावरण संरक्षण :- पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ सम्बन्ध है। प्रदूषण और वनों के विनाश के कारण सारी धरती दूषित हो रही है और

प्रत्येक प्राणी का जीवन अस्तित्व खतरे से कम नहीं है। या यह कहा जाये कि निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए सन् 1992 में ब्राजील में विश्व के 147 देशों का "पृथ्वी सम्मेलन" आयोजित हुआ।

इसके पश्चात् सन् 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण की ओर ध्यान दिलाया गया।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

नरेगा अधिनियम :- भारत सरकार की महात्वाकांक्षी योजना नरेगा (राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) जो वर्तमान समय में मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) के नाम से जानी जा रही है, दिनांक 25 अगस्त 2005 को एक कानून के रूप में पारित हुआ इस कानून के तहत भारत के जम्मू कश्मीर को छोड़कर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार देने की कानूनी गारंटी देता है भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्य सरकार के साथ मिलकर इस योजना का क्रियान्वित करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश में 02 फरवरी 2006 में लागू हुई एक ऐसी परियोजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक परिवार को उसकी मांग पर सौ दिन दिवस के रोजगार की गारंटी देने वाला अधिनियम को लागू करती है। वस्तुतः यह रोजगार को एक कानूनी अधिकार बनाते हुए राज्य को अपने नागरिकों को रोजगार देने के लिये कानूनी रूप से बाध्य है। यह योजना प्रथम चरण में 200 जिलों में तथा द्वितीय चरण में 130 अतिरिक्त जिलों में एवं 01 अप्रैल 2008 को पूरे देश में लागू की गई।

वेतन भुगतान :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में काम करने वाले प्रत्येक मजदूर को उसके कार्य का भुगतान से सम्बन्धित

अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार वेतन मिलेगा **अनुसूची I अनुच्छेद 6** में किसी भी सूरत में मजदूरों को निर्धारित मजदूरी से कम का भुगतान नहीं किया जायेगा। **अधिनियम 1976** के प्रावधानों के तहत पुरुष/महिला को समान वेतन दिया जायेगा। वेतन भुगतान में 15 दिन से अधिक समय लगने पर मजदूर अपने मुआवजे की मांग **अधिनियम 1936** के प्रावधानों के अन्तर्गत कर सकता है। यह मुआवजा राज्य सरकार के कोष से चुकाया जायेगा।

क्रियान्वयन की स्थिति :- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना देश में 2 फरवरी वर्ष 2006-2007 के दौरान यह योजना की शुरुआत देश के 200 जिलों में प्रयोग के तौर पर लागू की गई।

वर्ष 2007-2008 में 130 जिलों को और इस योजना में शामिल किया गया।

एनआरईजीए (जम्मू एवं कश्मीर विस्तार) विधेयक, 2007 :- अधिनियम को जम्मू कश्मीर राज्य में भी लागू करने के लिए एनआरईजीए अधिनियम के अनुच्छेद 1(2) में संशोधन करने के उद्देश्य से 7.3.2007 को लोक सभा में 'एनआरईजीए (जम्मू एवं कश्मीर विस्तार) विधेयक, 2007' के नाम से एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। 19.3.2007 को लोक सभा ने इस विधेयक को पारित कर दिया गया और विचारार्थ राज्य सभा को भेज दिया गया था। राज्य सभा ने भी 27.4.2007 को यह विधेयक पारित कर दिया। इस विधेयक पर 11.5.2007 को राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी दी और 12.5.2007 से उसे जम्मू एवं कश्मीर में लागू कर दिया गया है।

अप्रैल 2008 में नरेगा का विस्तार 24 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के सभी 614 जिलों एवं 6096 ब्लकों और 2.65 लाख ग्राम पंचायतों में इस योजना के तहत कार्य शुरू कराये गये।

इस योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में जन सहभागिता, पारदर्शिता, अशक्तजनों व महिलाओं के लिये भी सम्मिलित किया गया है। वस्तुतः यह योजना देश के ग्रामीण क्षेत्र में बसने वाले प्रत्येक नागरिक को उसके जीवन स्तर में विकास के अवसर की गारंटी देती है।

यह अधिनियम उन ग्रामीण परिवारों के लिये है, जो स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते

हैं। उन्हें प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी की गारंटी वाला रोजगार प्रदान करने की जिम्मेदारी सरकार ने ली है। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

नरेगा का लाभ लेने के लिये ग्रामीण परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य एक आवेदन में अपना नाम, पता, आयु, एवं फोटोग्राफ के साथ ग्राम पंचायत के पदस्थ अधिकारी के पास जमा कर सकता है, ग्राम पंचायत की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उस आवेदन की जाँच एक निश्चित अवधि में करके सम्बन्धित व्यक्ति को जॉब कार्ड जारी करेगा और 15 दिनों के अन्दर एवं ग्राम पंचायत के 5 कि.मी. के अन्दर उसको रोजगार उपलब्ध करायेगा,

रोजगार की माँग करने की दिनोंक से अगर ग्राम पंचायत उस व्यक्ति को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाती तो वह व्यक्ति अपने रोजगार भत्ते की माँग कर सकता है, और इस योजना के माध्यम से उसको राज्य सरकार भत्ता देगी, काम का अधिकार भारतीय संविधान की धारा 41 में निहित है। किन्तु मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं है, बल्कि शासकीय नीतियों के निर्देशक सिद्धांतों के रूप में है। सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न फैसलों में यह बात कही गई है कि सरकार को निर्देशक सिद्धान्तों का मौलिक अधिकारों का दर्जा देना चाहिए। मानव अधिकार के सार्वभौमिक उद्घोषण, **Universal Declaration of Right** और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की "अवधि सामाजिक संधि" पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दायित्व भी है कि वह ऐसा करे।

तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के जरिये संविधान के 73 वें संशोधन अधिनियम और देश में स्थानीय शासन प्रणाली की स्थापना ने देश में लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि इसके लिये ऐसी स्थानीय सरकारी संस्थाओं के उच्च आर्थिक विकास के युग में समावेश को बढ़ावा देने के लिए धुरी बनाया जाएगा। धन के पुनर्वितरण और सार्थक रोजगार सृजन के जरिये एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा कवच बनाने के लक्ष्य के तहत जनकल्याणकारी योजनाओं की लोकप्रियता विकासशील देशों में बढ़ती जा रही है। अगस्त 2005 में लागू एनआरईजीए यानी नरेगा भी ऐसी ही एक योजना है। इस दस्तावेज में देशभर के जिलों में चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करते हुए सरकारी कार्यों में भागीदारी, श्रम शक्ति की भागीदारी और

अनियमित कामगारों की वास्तविक मजदूरी पर नरेगा के उद्देश्य के प्रभावों की विवेचना के उद्देश्य से आकलन किया जा सकेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अब महात्मा गाँधी के नाम पर

नई दिल्ली :- सरकार ने शुक्रवार 02 अक्टूबर 2009 को गांधी जयंती के अवसर पर देश के सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजना— राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम **महात्मा गांधी** के नाम पर रख दिया।

इस योजना का नाम गांधी जी के साथ जोड़ने का मतलब है कि इस पूरी योजना में मशीनीकरण पर पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगाया गया है और शायद गांधी भी इसी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो हमेशा मशीनीकरण का विरोध करते थे और चाहते थे कि प्रत्येक कार्य व्यक्ति करे न कि मशीन। जिससे व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ और रोजगार मिलता रहे।

गांधीवादी विचारधारा की यह योजना सम्पूर्ण भारत में एक सामाजिक जागरूकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है जब गांधी की इच्छा के अनुरूप इस योजना का संचालन हो और मशीन की जगह व्यक्ति को महत्व दिया जाये। तभी एक आत्मनिर्भर समाज का निर्माण होगा।

देश के विकास का मॉडल प्रस्तुत करते समय **गांधी जी** एक राष्ट्रवादी जोश पैदा करने की भावना से भरे हुये थे। गाँधी जी ने औद्योगिक सभ्यता को नापसन्द किया तथा हस्तशिल्प सभ्यता का पक्ष लिया, गांधी जी का मानना था कि जो कार्य है वो जिस स्थान पर है उसी स्थान के लोगों से करवाया जाये वजाय किसी मशीनीकरण के तभी विकास सम्भव है।

गाँधी जी ने गाँवों के पुनुरुद्धार की कल्पना की थी उन्होंने **1936** में कहा था कि गाँवों का पुनुरुद्धार तभी संभव है जब इनका और अधिक शोषण बन्द हो जाये। बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण का होना गरीबों और ग्रामीण का शोषण है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 में कई ऐसे पहलू हैं जिनके आधार पर इसे "जनता का कानून" कहा जा सकता है। सबसे पहली बात तो यही है कि इस अधिनियम की रूपरेखा तैयार करते हुए तमाम मुद्दों पर बहुत सारे जनसंगठनों के

साथ परामर्श की एक लंबी प्रक्रिया चलाई गई। दूसरी बात, यह एक ऐसा कानून है जिसके माध्यम से कामकाजी लोगों की जरूरतों को संबोधित करने और प्रतिष्ठापूर्ण जीवन के उनके मूलभूत अधिकार को साकार करने की कोशिश की जा रही है। तीसरे, यह कानून ग्राम सभाओं, सामाजिक ऑडिट, सहभागी नियोजन और अन्य माध्यमों से आम लोगों को भी रोजगार गारंटी योजनाओं के क्रियावन्धन में सक्रिय भूमिका अदा करने का मौका देता है। बाकी कानूनों से तुलना की जाए तो एनआरईजीए सचमुच ही जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता का कानून है।

यह कानून रोजगार अधिकार को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून के माध्यम से ग्रामीण इलाकों में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा जिससे लोगों को रोजगार के नियमित अवसर मिलेंगे। इस कानून के तहत मुख्य रूप से सूखा, जंगलों का विनाश और भूमि कटाव जैसी उन समस्याओं को संबोधित किया जाएगा जिनके कारण बड़े पैमाने पर गरीबी फैल रही है। अगर इस कानून को सही ढंग से लागू किया गया तो इसके अंतर्गत पैदा होने वाले रोजगार गरीबी के भौगोलिक नक्शे को बदलने में एक दूरगामी भूमिका अदा कर सकते हैं।

सन्दर्भ सूची :-

- दुबे श्यामा चरण – विकास का समाज शास्त्र, वाणी प्रकाशन बर्धमान ऑफसेट दिल्ली
- मुखर्जी रवीन्द्र नाथ – भारतीय समाज व संस्कृति
- परमिल बी. कर – समाजशास्त्र सामाजिक अन्तःक्रियाओं का अध्ययन
- गुप्ता मोतीलाल – भारत में समाज
- राजकिशोर-2006 नैतिकता के नये सवाल वाणी प्रकाशन नई दिल्ली
- एक्शन फॉर फूड प्रोडक्शन (एफपीआरओ) की रिपोर्ट, 'दन्कास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड बियांड : एक्सप्लोरिंग द स्कोप फॉर सस्टेनेबल लाइवलीहुड सपोर्ट अंडर एम जी एन आर ई जी ए' –ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, 2009
- अय्यर वाई. और एस. सामजी, 'गारंटीडिंग गंड गवर्नेंस : अंडरस्टैंडिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ

अकाउंटिबिलिटी इन नरेगा : डिजाइन, प्रोसेस एंड इम्पैक्ट' - ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली, भारत सरकार, 2009

- अम्बाटे, पी., पी. एस. विजय शंकर और एम. शाह, 'दू ईयर्स ऑफ एनआरईजीए : द रोड अहेड', इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, खंड 43, संख्या 8, 23 फरवरी 2008
- एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इंडिया (एएससीआई) 'क्विक अप्रेजल ऑफ नरेगा इन आंध्र प्रदेश', ग्रामीण विकास मंत्रालय/यूएनडीपी को सौंपी गई रिपोर्ट, हैदराबाद, एएससीआई, 2009
- घुरिये, डॉ. जी. एस. - जाति, वर्ग एवं व्यवसाय,
- कुमार, आर. एवं आर. प्रसन्ना, 'रोल ऑफ नरेगा इन प्रोवाइडिंग एडिशनल इम्प्लॉयमेंट फॉर ट्राइबल्स एंड कर्टेजिंग' इन नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट - 2010
- कुमार, ए. ए. 'इफेक्टिवनेस एंड ओनरशिप ऑफ इरिगेशन एसेट्स क्रिएटेड अंडर एम जी एन आर ई जी ए एंड लेबर मार्केट डायनेमिक्स इन बिहार - 2010
- नाइहॉस, पी. एस. सुखतांकर, करप्शन डायनामिक्स : द गोल्डन गूज इफेक्ट वर्किंग पेपर, 2010
- स्वामी, आर, 'द महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट : ए स्टडी ऑफ आंध्र प्रदेश एंड बिहार', मास्टर्स डिसेटेशन, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल पॉलिसी, लंदन: स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 2010